अध्याय-I : सामान्य

1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

1.1.1 वर्ष 2016-17 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा वसूल किया गया कर एवं कर-इतर राजस्व, भारत सरकार से प्राप्त विभाजित होने वाले संघीय करों एवं शुल्कों की शुद्ध प्राप्तियों में राज्य का भाग और भारत सरकार से प्राप्त सहायतार्थ अनुदान तथा विगत चार वर्षों के तदनुरूपी आंकड़ों की स्थिति तालिका 1.1.1 में दर्शायी गयी है ।

तालिका 1.1.1

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
1	**राज्य सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व**					
	• कर राजस्व	30,502.65	33,477.70	38,672.87	42,712.92	44,371.66[1]
	• कर-इतर राजस्व	12,133.59	13,575.25	13,229.50	10,927.87	11,615.57[2]
	योग	**42,636.24**	**47,052.95**	**51,902.37**	**53,640.79**	**55,987.23**
2	**भारत सरकार से प्राप्तियां**					
	• विभाजित होने वाले संघीय करों एवं शुल्कों की शुद्ध प्राप्तियों में भाग	17,102.85	18,673.07	19,817.04	27,915.93	33,555.86[3]
	• सहायतार्थ अनुदान	7,173.92	8,744.35	19,607.50	18,728.40	19,482.91[4]
	योग	**24,276.77**	**27,417.42**	**39,424.54**	**46,644.33**	**53,038.77**
3	**राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां (1 और 2)**	**66,913.01**	**74,470.37**	**91,326.91**	**1,00,285.12**	**1,09,026.00**
4	**1 की 3 से प्रतिशतता**	**64**	**63**	**57**	**53**	**51**

उपरोक्त तालिका इंगित करती है कि विगत पांच वर्षों के दौरान राज्य सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व में सतत् वृद्धि रही । तथापि, राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राज्य सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व में पिछले पांच वर्षों में गिरावट रही । वर्ष 2016-17 में राज्य सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व (55,987.23 करोड़) कुल राजस्व प्राप्तियों (1,09,026.00 करोड़) का 51 प्रतिशत रहा । वर्ष 2016-17 में शेष 49 प्रतिशत प्राप्तियां

---

1 ब्यौरे के लिये कृपया इस अध्याय की तालिका संख्या 1.1.2 देखें ।

2 ब्यौरे के लिये कृपया इस अध्याय की तालिका संख्या 1.1.3 देखें ।

3 ब्यौरे के लिये कृपया राजस्थान सरकार के वर्ष 2016-17 के वित्त लेखे की विवरणी संख्या-14-लघु शीर्षवार राजस्व के विस्तृत लेखे देखें । वित्त लेखों में 'कर राजस्व के अन्तर्गत प्रदर्शित मद 0020-निगम कर, 0021-निगम कर से भिन्न आय पर कर, 0022-कृषि आय पर कर, 0032- संपदा पर कर, 0037- सीमा शुल्क, 0038- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं 0044- सेवा कर और 0045- वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क-प्राप्तियों एवं विभाजित होने वाले संघीय कर' सम्मिलित हैं ।

4 ब्यौरे के लिये कृपया राजस्थान सरकार के वर्ष 2016-17 के वित्त लेखे की विवरणी संख्या 14 में (सी) शीर्ष 1601 देखें ।

भारत सरकार से प्राप्त विभाजित होने वाले संघीय करों एवं शुल्कों की शुद्ध प्राप्तियों में हिस्सा एवं सहायतार्थ अनुदान से प्राप्त हुई थी।

1.1.2 अवधि 2012-13 से 2016-17 के दौरान एकत्रित कर राजस्व के सम्बन्ध में बजट अनुमान, संशोधित अनुमान व वास्तविक प्राप्तियों का विवरण तालिका 1.1.2 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.1.2

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	बजट अनुमान संशोधित अनुमान वास्तविक	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2016-17 में 2015-16 पर वृद्धि (+)/ कमी (-) की प्रतिशतता
1	बिक्री, व्यापार, इत्यादि पर कर	बजट अनुमान	15,402.08	19,528.00	24,030.00	28,784.00	32,900.00	
		संशोधित अनुमान	17,237.00	20,300.00	24,120.00	27,635.00	27,767.60	
		वास्तविक	17,214.34	19,834.72	22,644.89	24,878.67	27,151.54	(+) 9.14
	केन्द्रीय बिक्री कर	बजट अनुमान	1,147.92	1,522.00	1,595.00	1,716.00	1,615.00	
		संशोधित अनुमान	1,338.00	1,450.00	1,505.00	1,615.00	1,227.40	
		वास्तविक	1,360.31	1,380.79	1,525.02	1,466.10	1,406.88	(-) 4.04
2	राज्य आबकारी शुल्क	बजट अनुमान	3,250.00	4,500.00	5,318.75	6,300.00	7,310.00	
		संशोधित अनुमान	3,875.00	4,625.00	5,330.00	6,350.00	7,600.00	
		वास्तविक	3,987.83	4,981.59	5,585.77	6,712.94	7,053.68	(+) 5.08
3	मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क							
	मुद्रांक-न्यायिक	बजट अनुमान	60.14	105.40	172.08	172.08	110.00	
		संशोधित अनुमान	96.73	144.00	156.66	105.00	103.34	
		वास्तविक	144.27	104.59	54.27	97.45	73.94	(-) 24.13
	मुद्रांक-गैर न्यायिक	बजट अनुमान	2,264.97	3,268.57	3,413.42	3,413.42	3,490.00	
		संशोधित अनुमान	2,723.27	2,706.00	2,823.35	2,785.00	2,701.00	
		वास्तविक	2,693.13	2,577.76	2,705.10	2,574.88	2,502.86	(-) 2.80
	पंजीयन शुल्क	बजट अनुमान	474.89	526.03	614.50	614.50	600.00	
		संशोधित अनुमान	480.00	500.00	520.00	560.00	445.66	
		वास्तविक	497.47	442.98	429.52	561.67	476.45	(-) 15.17
4	मोटर वाहनों पर कर	बजट अनुमान	1,900.00	2,500.00	2,950.00	3,300.00	3,900.00	
		संशोधित अनुमान	2,225.00	2,550.00	2,800.00	3,300.00	3,650.00	
		वास्तविक	2,283.13	2,498.90	2,829.86	3,199.44	3,622.83	(+) 13.23
5	विद्युत पर कर एवं शुल्क	बजट अनुमान	1,505.25	1,512.61	1,697.18	1,782.04	2,000.00	
		संशोधित अनुमान	1,596.65	1,406.63	1,697.18	2,000.00	2,172.00	
		वास्तविक	1,570.06	948.93	1,534.51	1,921.29	738.24	(-) 61.58
6	भू-राजस्व	बजट अनुमान	196.06	185.51	400.76	400.00	400.01	
		संशोधित अनुमान	233.91	365.76	324.69	320.00	359.01	
		वास्तविक	304.55	337.98	288.58	272.47	314.69	(+) 15.50
7	माल एवं यात्रियों पर कर	बजट अनुमान	280.00	300.00	345.00	432.00	750.00	
		संशोधित अनुमान	250.00	300.00	360.00	800.00	750.00	
		वास्तविक	248.57	287.92	956.52	847.72	803.28	(-) 5.24
8	वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	बजट अनुमान	50.99	55.00	68.26	131.99	174.99	
		संशोधित अनुमान	50.09	55.01	99.99	171.79	200.00	
		वास्तविक	48.47	68.46	113.68	170.96	220.08	(+) 28.73
9	अन्य कर इत्यादि[5]	बजट अनुमान	300.00	50.00	50.00	50.00	50.00	
		संशोधित अनुमान	100.00	50.00	50.17	50.20	10.00	
		वास्तविक	150.52	13.08	5.15	9.32	7.19	(-) 22.85
योग		**बजट अनुमान**	**26,832.30**	**34,053.12**	**40,654.95**	**47,096.03**	**53,300.00**	
		संशोधित अनुमान	**30,205.65**	**34,452.40**	**39,787.04**	**45,691.99**	**46,986.01**	
		वास्तविक	**30,502.65**	**33,477.70**	**38,672.87**	**42,712.92**	**44,371.66**	**(+) 3.88**
पूर्व वर्ष से वास्तविक वृद्धि का प्रतिशत			**20.19**	**9.75**	**15.52**	**10.45**	**3.88**	

[5] अन्य कर में आय तथा व्यय पर कर, (वृत्ति पर कर, व्यापार, श्रम एवं रोजगार) एवं कृषि भूमि के अलावा अचल सम्पत्तियों पर कर भी शामिल है।

विगत पांच वर्षों से कुल कर राजस्व संग्रहण में लगातार वृद्धि रही किन्तु वर्ष 2013-14 से 2016-17 के दौरान बजट अनुमानों एवं संशोधित अनुमानों की तुलना में प्रत्येक वर्ष का कर संग्रहण कम रहा। इसके अलावा, राजस्व वृद्धि का प्रतिशत वर्ष 2015-16 की तुलना में वर्ष 2016-17 के दौरान कम रहा।

जहाँ भी सारभूत भिन्नता पाई गई उनके कारण सम्बन्धित विभागों से मांगे गये (अप्रैल 2017 और मई 2017) किन्तु सम्बन्धित विभागों द्वारा उपलब्ध नहीं कराये गये (नवम्बर 2017)।

1.1.3 वर्ष 2012-13 से 2016-17 की अवधि के दौरान एकत्रित कर-इतर राजस्व के सम्बन्ध में बजट अनुमान व संशोधित अनुमान में वास्तविक प्राप्तियों का विवरण तालिका 1.1.3 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.1.3

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	बजट अनुमान संशोधित अनुमान वास्तविक	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2016-17 में 2015-16 पर वृद्धि (+)/ कमी (-) की प्रतिशतता
अलौह खनन एवं धातु कर्म उद्योग	बजट अनुमान	2,500.00	3,210.00	3,860.00	4,135.00	5,200.00	
	संशोधित अनुमान	2,910.00	3,360.00	3,566.00	4,250.00	4,200.00	
	वास्तविक	2,838.59	3,088.66	3,635.46	3,782.13	4,233.74	(+) 11.94
ब्याज प्राप्तियां	बजट अनुमान	1,428.79	1,933.88	2,046.31	1,790.98	1,778.75	
	संशोधित अनुमान	2,074.82	2,109.36	1,959.83	1,860.58	2,002.97	
	वास्तविक	2,067.00	2,142.49	2,065.39	1,982.39	1,933.37	(-) 2.47
विविध सामान्य सेवायें	बजट अनुमान	324.29	576.17	891.66	1,106.61	1,279.12	
	संशोधित अनुमान	667.80	743.37	920.88	885.72	859.39	
	वास्तविक	686.10	846.36	963.85	700.90	660.70	(-) 5.74
पुलिस	बजट अनुमान	165.00	170.48	220.10	220.10	220.15	
	संशोधित अनुमान	180.10	192.36	220.10	213.00	220.15	
	वास्तविक	192.07	167.27	240.03	162.02	190.78	(+) 17.75
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	बजट अनुमान	78.88	89.94	139.13	110.77	162.73	
	संशोधित अनुमान	80.00	126.66	107.19	162.44	222.35	
	वास्तविक	85.50	147.38	133.21	161.98	210.51	(+) 29.96
वृहद एवं मध्यम सिचांई	बजट अनुमान	122.21	90.62	115.22	146.00	150.00	
	संशोधित अनुमान	116.34	97.55	90.90	112.50	129.79	
	वास्तविक	87.21	80.62	67.08	68.72	112.77	(+) 64.10
वानिकी एवं वन्य जीवन	बजट अनुमान	56.05	66.67	87.44	97.92	103.54	
	संशोधित अनुमान	73.55	87.39	80.20	111.65	123.95	
	वास्तविक	91.24	77.52	89.31	133.75	113.00	(-) 15.51
सार्वजनिक निर्माण	बजट अनुमान	75.75	65.00	74.76	77.36	82.02	
	संशोधित अनुमान	60.00	67.87	74.76	79.51	95.30	
	वास्तविक	57.63	69.16	71.74	97.89	84.31	(-) 13.87
चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	बजट अनुमान	61.88	61.00	70.71	95.12	110.42	
	संशोधित अनुमान	99.33	72.86	105.07	108.99	115.74	
	वास्तविक	96.04	65.61	116.43	119.21	125.39	(+) 5.18
सहकारिता	बजट अनुमान	23.65	20.42	11.86	18.51	24.02	
	संशोधित अनुमान	23.00	17.83	16.52	14.52	41.25	
	वास्तविक	22.02	18.80	16.88	14.64	44.10	(+) 201.23
अन्य कर-इतर प्राप्तियां[6]	बजट अनुमान	4,114.64	6,370.23	7,421.01	7,697.61	4,973.35	
	संशोधित अनुमान	5,909.06	6,631.79	6,327.04	4,072.75	4,458.43	
	वास्तविक	5,910.19	6,871.38	5,830.12	3,704.24	3,906.90	(+) 5.47
योग	**बजट अनुमान**	**8,951.14**	**12,654.41**	**14,938.27**	**15,495.98**	**14,084.10**	
	संशोधित अनुमान	**12,185.00**	**13,507.04**	**13,468.49**	**11,871.66**	**12,469.32**	
	वास्तविक	**12,133.59**	**13,575.25**	**13,229.50**	**10,927.87**	**11,615.57**	**(+) 6.29**
पूर्व वर्ष से वास्तविक वृद्धि का प्रतिशत		**32.24**	**11.88**	**(-)2.55**	**(-)17.40**	**6.29**	

[6] अन्य कर-इतर प्राप्तियों में पेट्रोलियम, लोक सेवा आयोग, जेल, आवास, ग्राम तथा लघु उद्योग, मछली-पालन, लाभांश तथा लाभ, पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति लाभों में अंशदान और वसूली इत्यादि, शामिल हैं।

लेखापरीक्षा ने यह देखा कि वर्ष 2016-17 के दौरान गत वर्ष की तुलना में कर-इत्तर राजस्व के संग्रहण में बढ़ोत्तरी रही।

जहाँ भी सारभूत भिन्नता पाई गई उनके कारण सम्बन्धित विभागों से मांगे गये (अप्रैल 2017 और मई 2017) किन्तु सम्बन्धित विभागों द्वारा उपलब्ध नहीं कराये गये (नवम्बर 2017)।

1.2 राजस्व के बकाया का विश्लेषण

कुछ मुख्य शीर्षों में 31 मार्च 2017 को राजस्व की बकाया की राशि ₹ 6,046.36 करोड़ थी, इसमें से ₹ 1,984.19 करोड़ पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया थे, जैसा कि तालिका 1.2 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.2

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2016 को कुल बकाया राशि	31 मार्च 2017 को कुल बकाया और पिछले वर्ष की तुलना में बढोत्तरी का प्रतिशत		31 मार्च 2017 को पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया राशि
1	वाणिज्यिक कर	6,763.32	4,748.56	(-) 29.79	1,597.13
2	परिवहन	66.68	55.34	(-) 17.00	27.71
3	भू-राजस्व	607.04	593.57	(-) 2.22	72.39
4	पंजीयन एवं मुद्रांक	277.56	305.23	(+) 9.97	52.91
5	राज्य आबकारी	198.62	200.57	(+) 0.98	197.14
6	खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम	209.17	143.09	(-) 31.59	36.91
योग		**8,122.39**	**6,046.36**	**(-) 25.56**	**1,984.19**

स्रोतः सम्बन्धित विभागों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं के आधार पर।

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि ₹ 1,984.19 करोड़ पांच वर्षों से अधिक से बकाया हैं। बकाया किस स्तर पर हैं, जानने के लिये विभागों को लिखा गया था, तथापि, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के अलावा अन्य विभागों द्वारा कारण नहीं बताये गये (अगस्त 2017)। पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि राशि ₹ 179.39 करोड़ की वसूली नहीं की जा सकी क्योंकि यह अपीलीय प्राधिकरियों व न्यायालयों द्वारा जारी विभिन्न स्थगन आदेशों के अन्तर्गत थी।

यह अनुशंसा की जाती है कि बकाया की शीघ्र वसूली हेतु सरकार द्वारा उपयुक्त कार्यवाही की जानी चाहिए।

1.3 बकाया कर निर्धारण

वाणिज्यिक कर विभाग, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार वर्ष के प्रारम्भ में बकाया प्रकरण, वर्ष के दौरान निर्धारण हेतु देय प्रकरण, वर्ष के दौरान निस्तारित प्रकरण और वर्ष के अंत में निस्तारण से शेष

रहे प्रकरणों का विवरण आगे तालिका 1.3 में दिया गया है ।

तालिका 1.3

विभाग का नाम	प्रारम्भिक शेष	वर्ष 2016-17 के दौरान निर्धारण हेतु ड्यू नये प्रकरण	कुल ड्यू निर्धारण	वर्ष 2016-17 के दौरान निस्तारित प्रकरण	वर्ष के अंत में शेष	निस्तारण का प्रतिशत (कॉलम 5 का 4 से)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
वाणिज्यिक कर[7]	1,75,838	4,15,590	5,91,428	5,91,425	3	99.99
पंजीयन एवं मुद्रांक	4,818	5,189	10,007	5,675	4,332	56.71
खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम	8,922	13,616	22,538	10,327	12,211	45.82

स्रोतः सम्बन्धित विभागों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं के आधार पर ।

यह देखा जा सकता है कि वाणिज्यिक कर विभाग ने सभी प्रकरणों जिनमें डीम्ड एसेसमेन्ट योजना के अन्तर्गत निस्तारित किये गये प्रकरण भी सम्मिलित हैं का निस्तारण कर के बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है । प्रकरणों के निस्तारण का प्रतिशत खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम विभाग में न्यूनतम रहा । विभाग को प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु कार्यवाही करनी चाहिए ।

1.4 विभाग द्वारा खोजा गया कर अपवंचन

वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार कर अपवंचन के खोजे गये प्रकरणों, निस्तारित प्रकरणों एवं अतिरिक्त कर की मांग कायम किये जाने के प्रकरणों का विवरण तालिका 1.4 में दिया गया है ।

तालिका 1.4

राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2016 को बकाया प्रकरण	वर्ष 2016-17 के दौरान खोजे प्रकरण	योग	प्रकरणों की संख्या जिनमें निर्धारण/जांच पूर्ण कर शास्ति सहित अतिरिक्त मांग इत्यादि कायम की गयी		31 मार्च 2017 को बकाया प्रकरण
				प्रकरणों की संख्या	मांग की राशि (₹ करोड़ में)	
वाणिज्यिक कर	513	2,310	2,823	2,050	307.54	773

स्रोतः वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं के आधार पर ।

वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा अपने अन्तिम शेष जो विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाया गया था को अद्यतन किया है ।

उपरोक्त तालिका में देखा गया कि वर्ष 2016-17 के दौरान कुल प्रकरणों में से 72.62 प्रतिशत प्रकरणों का निस्तारण किया गया था ।

[7] वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा अपने अन्तिम शेष जो पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाया गया था को अद्यतन किया है ।

1.5 रिफण्ड के बकाया प्रकरण

विभागों द्वारा बताये अनुसार वर्ष 2016-17 के प्रारम्भ में रिफण्ड के बकाया प्रकरणों की संख्या, वर्ष के दौरान प्राप्त दावे, वर्ष के दौरान रिफण्ड की अनुमति दिये गये प्रकरण एवं वर्ष 2016-17 के अंत में बकाया प्रकरणों की संख्या को तालिका 1.5 में दर्शाया गया है ।

तालिका 1.5

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	बिक्री कर/वैट		पंजीयन एवं मुद्रांक	
		प्रकरणों की संख्या[8]	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि
1	वर्ष के प्रारम्भ में बकाया दावे	1,285	201.16	1,143	7.82
2	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	10,182	638.73	1,980	12.15
3	(i) वर्ष के दौरान निपटाये रिफण्ड के प्रकरण	6,667	629.68	1,839	11.61
	(ii) निरस्त प्रकरणों की संख्या	3,899	7.29	-	-
4	वर्ष के अंत में बकाया प्रकरण	901	202.92	1,284	8.36

स्रोतः सम्बन्धित विभागों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं के अनुसार ।

उपरोक्त से देखा जा सकता है कि पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग में रिफण्ड के बकाया प्रकरणों की संख्या व राशि में वृद्धि हुई जबकि, वाणिज्यिक कर विभाग (वैट) में रिफण्ड के बकाया प्रकरणों की संख्या में कमी हुई, यद्यपि राशि में आंशिक बढ़ोतरी हुई । विभाग को रिफण्ड के बकाया प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु जरूरी कार्यवाही करनी चाहिए । यह न केवल दावाकर्ता के लिये लाभकारी होगा बल्कि इससे देरी से भुगतान किये गये रिफण्ड के प्रकरणों पर दिये जाने वाले ब्याज के भुगतान से भी सरकार की बचत हो सकेगी ।

1.6 लेखापरीक्षा पर सरकार/विभागों का उत्तर

नियमों एवं प्रक्रियाओं के प्रावधानों के अनुरूप महत्वपूर्ण लेखों एवं अन्य अभिलेखों के संधारण का सत्यापन एवं कार्य निष्पादन की मापक जांच के लिये महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा), राजस्थान, जयपुर सरकारी विभागों का सामयिक निरीक्षण करवाते हैं । निरीक्षण के दौरान पायी गयी अनियमितताओं, जिन्हें मौके पर ही निस्तारित नहीं किया गया हो, को सम्मिलित करते हुए निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किये जाते हैं । निरीक्षण प्रतिवेदन, निरीक्षण किये गये कार्यालय के अध्यक्ष एवं प्रतिलिपि उससे अगले उच्च प्राधिकारी को शीघ्र सुधारात्मक कार्यवाही करने हेतु भेजते हुए जारी किये जाते हैं । कार्यालय प्रमुखों/सरकार को निरीक्षण प्रतिवेदनों में शामिल आक्षेपों की शीघ्रता से अनुपालना, कमियों एवं त्रुटियों में सुधार करना होता है । उन्हें निरीक्षण प्रतिवेदन जारी करने के एक माह के अन्दर प्रथम अनुपालना महालेखाकार को प्रस्तुत करनी होती है । गम्भीर वित्तीय अनियमिततायें, विभागाध्यक्षों एवं सरकार को प्रतिवेदित की जाती हैं ।

दिसम्बर 2016 तक जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति के विश्लेषण से पता चला कि 2,961 निरीक्षण प्रतिवेदनों में ₹ 2,877.01 करोड़ राशि के 8,691 अनुच्छेद जून 2017 के अंत में

[8] वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा अपने अन्तिम शेष जो विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाया गया था को अद्यतन किया है ।

बकाया थे । जून 2017 के आंकड़ों को विगत दो वर्षों के आंकड़ों के साथ तालिका 1.6 में दर्शाया गया है ।

तालिका 1.6

विवरण	जून 2015	जून 2016	जून 2017
निस्तारण हेतु लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	2,932	3,127	2,961
बकाया लेखापरीक्षा आक्षेपों की संख्या	8,964	9,129	8,691
सन्निहित राजस्व राशि (₹ करोड़ में)	3,206.77	3,180.58	2,877.01

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि पिछले वर्ष की तुलना में बकाया आक्षेपों और उनमें सन्निहित राजस्व राशि में थोड़ी कमी हुई है । यद्यपि, अभी भी लेखापरीक्षा आक्षेपों के समय पर निस्तारण हेतु त्वरित अनुपालना की आवश्यकता है ।

1.6.1 विभागवार 30 जून 2017 को बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षा आक्षेपों तथा उनमें सन्निहित राशि का विवरण तालिका 1.6.1 में दर्शाया गया है ।

तालिका 1.6.1

क्र.सं.	विभाग का नाम	प्राप्तियों की प्रकृति	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	बकाया लेखापरीक्षा अनुच्छेदों की संख्या	सन्निहित राशि (₹ करोड़ में)
1	वाणिज्यिक कर	बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	514	2,044	477.04
		मनोरंजन कर, विलासिता कर इत्यादि	20	23	7.10
2	परिवहन	मोटर वाहनों पर कर	461	1,439	80.84
3	भू-राजस्व	भू-राजस्व	85	341	298.95
4	पंजीयन एवं मुद्रांक	मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क	1,412	3,342	363.58
5	राज्य आबकारी	राज्य आबकारी शुल्क	113	249	58.41
6	खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम	अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग	356	1,253	1,591.09
योग			**2,961**	**8,691**	**2,877.01**

वर्ष 2016-17 के दौरान जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों में से तीन प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में अनुपालना निरीक्षण प्रतिवेदनों के जारी होने की तिथि से एक माह की अवधि व्यतीत होने के उपरान्त भी कार्यालय प्रमुखों[9] से प्राप्त नहीं हुई । निरीक्षण प्रतिवेदनों के बकाया होने से यह प्रकट होता है कि कार्यालय प्रमुखों और विभागों ने लेखापरीक्षा द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से बतायी गयी त्रुटियों और अनियमितताओं के सुधार हेतु पर्याप्त कार्यवाही नहीं की ।

विगत वर्षों की तुलना में बकाया आक्षेपों की संख्या तथा उनमें सन्निहित राशि में कमी हुई है, पर विभाग को लेखापरीक्षा द्वारा बताई गयी त्रुटियों एवं अनियमितताओं को ठीक करने के लिये लगातार और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है ।

[9] उप पंजीयकः महुआ (दौसा), डूंगरपुर और अकलेरा (झालावाड़) ।

1.6.2 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनुच्छेदों के निस्तारण की शीघ्र प्रगति एवं निगरानी के लिये सरकार ने लेखापरीक्षा समितियों[10] का गठन किया । वर्ष 2016-17 के दौरान सम्पन्न हुई लेखापरीक्षा समिति की बैठकों तथा निस्तारित किये गये अनुच्छेदों का विवरण तालिका 1.6.2 में दर्शाया गया है ।

तालिका 1.6.2

क्र.सं.	विभाग का नाम	लेखापरीक्षा समिति की बैठकों की संख्या	लेखापरीक्षा उप-समिति की बैठकों की संख्या	निस्तारित अनुच्छेदों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1	वाणिज्यिक कर	3	7	145	9.62
2	भू-राजस्व	3	13	51	20.91
3	पंजीयन एवं मुद्रांक	4	17	1,034	116.43
4	खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम	3	2	144	27.99
योग		**13**	**39**	**1,374**	**174.95**

उपरोक्त से पता चलता है कि वाणिज्यिक कर, भू-राजस्व, पंजीयन एवं मुद्रांक, खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम विभागों के सम्बन्ध में आयोजित लेखापरीक्षा उप-समितियों की बैठकों में राशि ₹ 174.95 करोड़ के 1,374 अनुच्छेदों का निस्तारण किया गया ।

उपरोक्त के अतिरिक्त छः लेखापरीक्षा समितियां परिवहन विभाग (दो) तथा आबकारी विभाग (चार) में आयोजित की गई । लेकिन इन दोनों विभागों में लेखापरीक्षा उप-समिति की बैठकें आयोजित नहीं की गई और ना ही किसी अनुच्छेद का निस्तारण किया गया ।

1.6.3 प्रारूप लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर विभागों की अनुक्रिया

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित करने के लिये प्रस्तावित प्रारूप अनुच्छेदों को महालेखाकार द्वारा सम्बन्धित विभागों के प्रमुख शासन सचिवों/शासन सचिवों को लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर उनका ध्यान आकर्षित कर यह अनुरोध करते हुए भेजे जाते हैं कि वे उनके उत्तर चार सप्ताह में भिजवा दें । सरकार/विभाग से उत्तर प्राप्त नहीं होने के तथ्य को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित प्रत्येक अनुच्छेद के अंत में निरपवाद रूप से दर्शाया जाता है ।

जारी किये गये 40 ड्राफ्ट पैराग्राफ को इस प्रतिवेदन के 28 अनुच्छेदों में संकलित किया गया, जिनमें एक निष्पादन लेखापरीक्षा भी शामिल है, सम्बन्धित विभागों के प्रमुख शासन सचिवों/शासन सचिवों को उनके नाम से अप्रैल और अक्टूबर 2017 के मध्य में प्रेषित किया गया । विभागों[11] के प्रमुख शासन सचिवों/शासन सचिवों द्वारा पांच प्रारूप अनुच्छेदों के (15 नवम्बर 2017) उत्तर नहीं दिये गये जिनको उसी रूप में बिना सरकार के उत्तर के इस प्रतिवेदन में शामिल किया गया है ।

---

[10] राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक 1/2005 दिनांक 18 जनवरी 2005 के अनुसार सम्बन्धित विभागों के सचिव एवं महालेखाकार/उनके प्रतिनिधी को शामिल करते हुये लेखापरीक्षा समितियों का गठन किया गया और यह निश्चित किया गया कि लेखापरीक्षा समिति की एक बैठक का आयोजन प्रत्येक तिमाही में किया जाये । इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा उप-समितियों का गठन भी सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों व महालेखाकार के प्रतिनिधियों को मिलाकर किया गया ।

[11] विभागः परिवहन एवं खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम ।

1.6.4 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही-संक्षिप्त स्थिति

राजस्थान राज्य विधान सभा की जनलेखा समिति के लिये वर्ष 1997 में बनाये गये नियमों एवं कार्य विधियों के अनुसार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन को विधान सभा में प्रस्तुत करने के पश्चात विभाग लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर कार्यवाही प्रारम्भ करेगें । प्रतिवेदन को विधान पटल पर रखने के तीन महीने में सरकार द्वारा क्रियान्विति विषयक टिप्पणियां जनलेखा समिति के विचारार्थ प्रेषित करनी चाहिए । इन प्रावधानों के होते हुए भी प्रतिवेदनों के लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर क्रियान्विति विषयक टिप्पणी अत्यधिक विलम्ब से प्रस्तुत की जा रही थी । भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के राजस्थान सरकार के राजस्व क्षेत्र पर 31 मार्च 2012, 2013, 2014, 2015 और 2016 को समाप्त होने वाले वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों जिनमें कुल 195 अनुच्छेद (निष्पादन लेखापरीक्षा सहित) शामिल थे, को राज्य विधान सभा के समक्ष 27 अगस्त 2013 तथा 28 मार्च 2017 के मध्य प्रस्तुत किया गया । सम्बन्धित विभागों से इन अनुच्छेदों पर क्रियान्विति विषयक टिप्पणियां प्रत्येक प्रतिवेदन पर औसतन 42 दिवस विलम्ब से प्राप्त हुई । जनलेखा समिति द्वारा वर्ष 2011-12 से 2014-15 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से सम्बन्धित कुल 92 चयनित अनुच्छेदों पर चर्चा की गयी और 22 अनुच्छेदों पर इनकी सिफारिशों को छः प्रतिवेदनों[12] (2016-17) में सम्मिलित किया गया ।

1.7 परिवहन विभाग में लेखापरीक्षा द्वारा उठाये गये बिन्दुओं पर अपनायी गयी प्रणाली की समीक्षा

सरकार/विभागों द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में विशिष्टता के साथ दर्शाये गये मुददों पर अपनायी गयी प्रणाली की समीक्षा करने के लिये विगत पांच वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों/निरीक्षण प्रतिवदनों में समाहित अनुच्छेदों पर की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में एक विभाग का मूल्यांकन किया गया ।

स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आये प्रकरणों तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित किये गये प्रकरणों पर परिवहन विभाग के कार्य-निष्पादन पर चर्चा आगामी अनुच्छेदों 1.7.1 से 1.7.2 में की गयी है ।

1.7.1 निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

परिवहन विभाग के अवधि 2012-13 से 2016-17 के दौरान जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों, इन प्रतिवेदनों में शामिल अनुच्छेदों तथा 31 जुलाई 2017 को उनकी स्थिति का संक्षिप्त विवरण

[12] छः प्रतिवेदन वाणिज्यिक कर (1), आबकारी (1), परिवहन विभाग (2) और भू-राजस्व (2) विभाग से सम्बन्धित है ।

तालिका 1.7.1 में दर्शाया गया है ।

तालिका 1.7.1

(₹ करोड़ में)

वर्ष तक स्थिति	प्रारम्भिक शेष			वर्ष के दौरान वृद्धि			वर्ष के दौरान निस्तारण			वर्ष के अंत में शेष		
	नि.प्र.	अनुच्छेद	राशि	नि.प्र.	अनुच्छेद	राशि	नि.प्र.	अनुच्छेद	राशि	नि.प्र.	अनुच्छेद	राशि
2012-13	419	1,537	240.85	29	262	16.83	12	206	51.91	436	1,593	205.77
2013-14	436	1,593	205.77	15	141	16.33	20	242	37.94	431	1,492	184.16
2014-15	431	1,492	184.16	33	302	28.14	12	290	32.74	452	1,504	179.56
2015-16	452	1,504	179.56	27	231	27.70	15	278	25.41	464	1,457	181.85
2016-17 जुलाई 2017 तक	464	1,457	181.85	7	64	10.94	10	82	111.95	461	1,439	80.84

पुराने अनुच्छेदों के निस्तारण हेतु लेखापरीक्षा कार्यालय व विभाग के मध्य लेखापरीक्षा उप-समिति की बैठकों का आयोजन सरकार द्वारा किया जाता है । तथापि, वर्ष 2016-17 के दौरान लेखापरीक्षा उप-समिति की बैठक आयोजित नहीं की गयी । यद्यपि, विभाग द्वारा पुराने निरीक्षण प्रतिवेदनों/अनुच्छेदों के निस्तारण की प्रगति जारी है, सारभूत परिणाम के लिये अधिक प्रभावी एवं ठोस कदम उठाये जाने की आवश्यकता है ।

1.7.2 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल अनुच्छेदों और स्वीकार किये गये प्रकरणों की वसूली की स्थिति

विगत पांच वर्षों में लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित परिवहन विभाग से सम्बन्धित अनुच्छेद, जो विभाग द्वारा स्वीकार किये गये और उनमें वसूली की गयी राशि का विवरण तालिका 1.7.2 में दर्शाया गया है ।

तालिका 1.7.2

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	सम्मिलित अनुच्छेदों की संख्या	अनुच्छेदों की धन राशि	स्वीकार्य अनुच्छेदों की संख्या	स्वीकार्य अनुच्छेदों की धन राशि	वर्ष 2016-17 के दौरान वसूली गयी राशि	स्वीकार्य प्रकरणों में 30 जून 2017 तक वसूली की समेकित स्थिति
2011-12	4	15.88	2	15.66	0.53	5.90
2012-13	3	10.66	3	10.26	1.15	5.01
2013-14	3	15.96	2	13.15	2.12	5.70
2014-15	6	35.66	4	20.64	2.97	7.44
2015-16	3	20.97	3	20.33	1.96	1.96
योग	**19**	**99.13**	**14**	**80.04**	**8.73**	**26.01**

विभाग द्वारा पांच वर्षों के दौरान राशि ₹ 99.13 करोड़ के 19 अनुच्छेदों जिनमें से ₹ 80.04 करोड़ के 14 अनुच्छेदों को विभाग द्वारा पूर्व में ही स्वीकार किया जा चुका था के विरूद्ध केवल ₹ 26.01 करोड़ की वसूली की जा सकी । आक्षेपों की स्वीकार की गयी राशि में से केवल 32.50 प्रतिशत की ही वसूली हुई थी ।

विभाग को स्वीकार किये गये प्रकरणों में शामिल राशि की वसूली को गति देने एवं इसकी निगरानी हेतु तत्परता से कार्यवाही करनी चाहिए ।

1.8 लेखापरीक्षा योजना

विभिन्न विभागों के अधीन कार्यरत इकाई कार्यालयों को उनकी राजस्व की स्थिति, पूर्व के लेखापरीक्षा आक्षेपों की प्रवृत्ति तथा अन्य मापदण्डों के अनुसार उच्च, मध्यम एवं कम जोखिम में श्रेणीबद्ध किया गया है । वार्षिक लेखापरीक्षा योजना, जोखिम विश्लेषण, जिसमें अन्य के साथ-साथ सरकार के राजस्व तथा कर प्रशासन में सन्निहित महत्वपूर्ण बिन्दु जैसे बजट भाषण, राज्य वित्त पर श्वेत-पत्र, वित्त आयोग (राज्य एवं केन्द्रीय) के प्रतिवेदन, कराधान सुधार समिति की सिफारिशें, गत वर्षों के दौरान राजस्व प्राप्तियों का सांख्यिकीय विश्लेषण, लेखापरीक्षा से आच्छादित क्षेत्र तथा गत अवधि में इसके प्रभाव, आदि शामिल हैं, के आधार पर तैयार की गयी है । वर्ष 2016-17 के दौरान, 442 इकाइयों की योजना बनायी गयी और सभी इकाइयों की लेखापरीक्षा की गयी ।

1.9 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष के दौरान की गयी स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिति

वर्ष 2016-17 के दौरान वाणिज्यिक कर, परिवहन, भू-राजस्व, पंजीयन एवं मुद्रांक, राज्य आबकारी, खान एवं अन्य विभागीय कार्यालयों की 442 इकाइयों के अभिलेखों की मापक जांच में 30,175 प्रकरणों में ₹ 779.41 करोड़ राशि के अवनिर्धारण, कम आरोपण/राजस्व हानि आदि का पता चला । वर्ष के दौरान सम्बन्धित विभागों ने अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों के 19,402 प्रकरण स्वीकार किये जिनमें राजकीय राजस्व राशि ₹ 275.07 करोड़ निहित थी । इनमें से ₹ 60.06 करोड़ राशि के 8,290 प्रकरण वर्ष 2016-17 के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में लाये गये थे । वर्ष 2016-17 के दौरान सम्बन्धित विभागों ने 7,785 प्रकरणों में ₹ 68.12 करोड़ वसूल किये ।

1.10 यह प्रतिवेदन

इस प्रतिवेदन में 28 अनुच्छेद समाहित हैं जिनमें 'राजस्व विभाग में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत भूमि का आवंटन एवं संपरिवर्तन' पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा शामिल है । अनुच्छेदों का कुल वित्तीय प्रभाव ₹ 357.23 करोड़ हैं, जिसमें निष्पादन लेखापरीक्षा का वित्तीय प्रभाव ₹ 176.21 करोड़ है ।

विभाग/सरकार ने ₹ 285.87 करोड़ राशि की लेखापरीक्षा टिप्पणियां स्वीकार कीं, जिनमें ₹ 6.04 करोड़ वसूल किये जा चुके है । शेष प्रकरणों में उत्तर प्राप्त नहीं हुए । इन सभी पर आगामी अध्यायों-II से VII में चर्चा की गयी है ।